

संख्या .....

# मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर

e-Auction & Online bids पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

## विवरण पुस्तिका

e-Auction & Online bids का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रूपये 1180/- मात्र

(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 1,000/- + 18 प्रतिशत GST रू0 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम गुप हाउसिंग, गुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को **e-Auction & Online bids** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction & Online bids का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

2. e-Auction & Online bids में भाग लेने हेतु पात्रता—

**शैक्षिक भूखण्डों हेतु—**

(अ) रजिस्टर्ड सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ब) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(स) ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/बिना रजिस्टर्ड)।

(द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।

**शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों हेतु पात्रता—**

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ङ) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0 ।

(झ) पंजीकृत कंसोर्टियम(Consortium)फर्म ।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा ।) ।

3. आवेदक को e-Auction & Online bids में भाग लेने के लिये पैन एवं आधार/वोटर कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा ।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction & Online bids के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार नियत तिथियों को e-Auction & Online bids आमन्त्रित है ।
5. e-Auction & Online bids में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल है जो प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है ।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction & Online bids हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क कुल मूल्य रूपये 1180/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा तथा अपना e-Auction & Online bids के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हुए ConfidentialComputerized code प्राप्त करना होगा ।
7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-Auction & Online bids पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction & Online bids हेतु निर्धारित खाते में में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा । अन्यथा आवेदक e-Auction & Online bids में भाग नहीं ले सकेगा ।
8. e-Auction के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा । इसी प्रकार Online bids के माध्यम से आवेदक द्वारा दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा ।
9. नियत दिनांक को आवेदकों द्वारा Online bids दी जा सकेगी । नियत दिनांक को निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदक Online bids नहीं दे

सकेगे। Online bids देने वाले आवेदक को ही e-Auction में भाग लेने का अधिकार होगा।

10. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-Auction & Online bids में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि(EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को Online bids में भाग ले सकते हैं तथा जिन आवेदकों द्वारा Online bids में भाग लिया गया है, केवल वें आवेदक ही e-Auction में भाग ले सकते हैं।
11. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को तकनीकी ऑफर के साथ, विवरण पुस्तिका, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख के अनुसार रुपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र व प्राधिकरण पक्ष में परीक्षण शुल्क के रूप में अंकन रुपये 1,000/- **On line** जमा की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है जिसका प्राधिकरण द्वारा परीक्षणोंपरान्त आवेदकों को e-Auction अनुमति दी जायेगी।
12. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु **On line paid emd** ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के **On line** शिक्षण संस्था के खाते में वापस कर दी जायेगी।
13. ऐसे आवेदकों-समितियों/ट्रस्ट की जमा धरोहर जब्त कर ली जायेगी जिनके पक्ष में शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो अथवा किसी भी किश्त की देयता पर शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो और ऐसे आवेदकों को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
14. यदि कोई आवंटी शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त कराना चाहे अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी किश्त की बकायादारी पर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में **15%** की कटौती करते हुए उनकी जमा धनराशि वापस की जायेगी।

15. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त दुकानों की तालिका के अन्तिम कॉलम में दुकान के मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक दुकान के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम् बिड (MINIMUM PER SQM BID) एवं दुकानों के सम्मुख उल्लिखित दुकान की कीमत के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेगें। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम् बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
16. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्वः हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी नीलामी/बिड में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर लोड करनी होगी। सफल आवेदको को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्वः हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
17. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा नियत दिनांक को निर्धारित समयानुसार आवेदकों की Online प्राप्त bids खोली जायेगी तथा आवेदकों की e-Auction के माध्यम से प्राप्त दरों व Online bids में प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। e-Auction व Online bids में से परस्पर प्राप्त उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
18. e-Auction & Online bids के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर Online bids देने वाले आवेदक/e-Auction पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-Auction & Online bids हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।

19. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन/दुकान हेतु Online bids डालेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-Auction में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये Online रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करना होगा तथा Confidential Computerized code प्राप्त करना होगा सम्पत्ति के सापेक्ष धरोहर राशि(EMD) जमा करानी होगी।
20. हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को e-Auction & Online bids में भाग लेने के लिये आवेदक एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
21. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों का आवंटन ऑफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर सकल कीमत में 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।
22. मेरठ विकास प्राधिकरण से e-Auction & Online bids पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस0एस0आई0 यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. उच्चतम् e-Auction & Online bids द्वारा दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75% धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी:-

- (अ) भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 13% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।
- (ब) पहली छमाई किश्त, e-Auction & Online bids के स्वीकृति पत्र जारी होने के छः माह में देय होगी, जिसका किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें/देय धनराशि विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।
- (स) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष भूखण्ड की जमा **emd** धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी दिनांक से 01 माह की अवधि के अन्दर तथा भूखण्ड की शेष **75%** धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में **13%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। किश्तें विलम्ब से अदा करने की स्थिति में **16%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाई) अतिरिक्त देय होगा। प्रथम किश्त, आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 4 वार्षिक किश्तें भी देय होगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जायेगी।
- (द) यदि शैक्षिक भूखण्ड के आवंटि द्वारा भूखण्ड का आवंटन निर्गत होने पर भूखण्ड की जमा **emd** धनराशि का समायोजन करते हुए शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि के बजाय कुल देय प्रीमियम का भुगतान अर्थात् शत प्रतिशत धनराशि एक मुश्त आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कर दिया जाता है तो कुल देय प्रीमियम धनराशि पर **5%** की छूट प्रदान की जायेगी।
24. e-Auction & Online bids का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन ऑफर अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर अन्य गैर आवासीय सम्पत्तियों का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर

ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी।

26. शैक्षिक, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतमदरदाता (Highest bidder)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो प्रश्नगत शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, शैक्षिक भूखण्ड, गैर आवासीय सम्पत्ति के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में सम्पत्ति की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

<p>मद सं0-08</p>	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया-</p> <p>(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p> <p>(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p>
------------------	--	---

27. कब्जा हस्तान्तरण-

(अ) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के आवंटी को पट्टा विलेख पंजीकृत कराकर कब्जा दिया जायेगा।

(ब) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति के किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का



12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स, बारातघर व बैंकवट हाल के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का 10% लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष नियम शर्तें अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

(य) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर भूखण्ड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि, 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का 10% लीजरेन्ट की धनराशि, पानी सीवर चार्ज, दस्तावेज शुल्क, यदि भूखण्ड कॉर्नर का है तो भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज, भूखण्ड मूल्य+कॉर्नर चार्ज पर देय 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि जमा कराकर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा। शैक्षिक भूखण्ड के पट्टा विलेख के निष्पादन के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। शैक्षिक भूखण्ड की पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् शैक्षिक भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(र) शैक्षिक भूखण्ड के आवंटियों को राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

## 28. शैक्षिक भवन का निर्माण:-

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

29. शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधि:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 3 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का 15% कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

30. शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग:-

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

31. कर आदि की देयता:-

शैक्षिक भूखण्ड धारक द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

32. प्रबन्ध समिति:-

प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होंगे।

33. प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-5-2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50% छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तदनुसार आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति

/ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

34. शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 1889/आठ-1-2009-10विविध/04 दिनांक 3-5-2009 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि समाज के सभी वर्ग के गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे के लिये 10% स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना तथा उन्हें कुल निर्धारित देय फीस में 50% छूट प्रदान करनी होगी। अतः शासन द्वारा जारी उक्त आदेश एवं समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन संस्था को करना होगा।
35. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
36. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम दर का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।
37. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
38. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।
39. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
40. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।

41. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
42. परिसम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है, जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
43. अन्य शर्तें—

(1) e-Auction & Online bids में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-Auction & Online bids पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-Auction & Online bids से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

(7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।

**e-Auction & Online bids में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—**

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....  
आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

.....

### Program for on line bidding/e-auction

Sr. No.	Actions	Start Date & Time		Expiry Date & Time	
1.	Online Registration, Application,	03-01-2020	11.00 Hrs.	--	--
2.	Uploading of documents and payment of EMD and Processing fee etc. on e-Tender cum e-Auction Website	04-01-2020	11.00 Hrs.	15-01-2020	17.00 Hrs.
3.	Submit e-Tender	04-01-2020	11.00 Hrs.	16-01-2020	17.00 Hrs.
4.	Opening & scrutiny of Application and Uploaded documents	17-01-2020	11.00 Hrs.	--	--
5.	e-Auction	20-01-2020	11.00 Hrs.	20-01-2020	14.00 Hrs.
		{Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required}			
6.	Opening of closed bids	--	--	20-01-2020	15.00 Hrs.

**\* If the e-auction is extended upto after 15.00 Hrs, then opening of closed bid will be done after the completion of auction.**

#### DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME

SL. NO.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA in Sqm.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE Per Sqm.	RESERVE VALUE in Rupees	EMD in Rupees	MINIMUM PER SQM BID for Auction in Rupees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B	BC-06	2974.80	Commercial	25740	76571352	7657135	257
2.	B	BC-7/1	753.91	Commercial	25740	19405643	1940564	257
3.	B	BC-10	2357.04	Commercial	25740	60670210	6067021	257
4.	B	BC-11	2960.32	Commercial	25740	76198637	7619864	257
5.	B	BC-12	2960.87	Commercial	25740	76212794	7621279	257
6.	D	D/C-02	1080.00	Commercial	25740	27799200	2779920	257
7.	D	D/C-03	1041.00	Commercial	25740	26795340	2679534	257
8.	D	D/C-07	1479.39	Commercial	25740	38079499	3807950	257
9.	D	D/GH-1	2754.63	GROUP HOUSING	19305	53178132	5317813	193
10.	D	D/GH-02	2754.63	GROUP HOUSING	19305	53178132	5317813	193
11.	E	GH-1	4050	GROUP HOUSING	19305	78185250	7818525	193
12.	E	GH-2	3801	GROUP HOUSING	19305	73378305	7337831	193
13.	D	D/C-01	1319.12	COMMERCIAL	25740	33954149	3395415	257
14.	D	D/GH-03	2754.63	GROUP HOUSING	19305	53178132	5317813	193
15.	E	E/C-1/1	528.88	COMMERCIAL	25740	13613371	1361337	257
16.	E	E/C-1/2	528.88	Commercial	25740	13613371	1361337	257

17.	E	E/C-2	1052.60	Commercial	25740	27093924	2709392	257
18.	E	E/C-3	203.04	Commercial	25740	5226250	522625	257
19.	E	E/C-4	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
20.	E	E/C-5	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
21.	E	E/C-6	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
22.	E	E/C-9	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
23.	E	E/C-10	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
24.	E	E/C-11	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
25.	E	E/C-12	203.04	Commercial	25740	5226250	522625	257
26.	E	E/C-13	204.66	Commercial	25740	5267948	526795	257
27.	E	E/C-14	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
28.	E	E/C-15	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
29.	E	E/C-16	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
30.	E	E/S-19	163.26	Commercial	25740	4202312	420231	257
31.	E	E/S-20	162.18	Commercial	25740	4174513	417451	257
32.	E	E/S-21	160.92	Commercial	25740	4142081	414208	257
33.	E	E/S-22	201.30	Commercial	25740	5181462	518146	257
34.	E	E/S-23	209.43	Commercial	25740	5390728	539073	257
35.	E	E/S-24	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
36.	E	E/S-25	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
37.	E	E/S-26	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
38.	E	E/S-27	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
39.	E	E/S-28	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
40.	E	E/S-29	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
41.	E	E/S-30	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
42.	E	E/S-31	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
43.	E	E/S-32	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
44.	E	E/S-33	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
45.	E	E/S-34	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
46.	E	E/S-35	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
47.	E	E/S-36	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
48.	E	E/S-37	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
49.	E	E/S-38	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
50.	E	E/S-39	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
51.	E	E/S-40	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
52.	E	E/S-41	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
53.	E	E/S-42	162.00	Commercial	25740	4169880	416988	257
54.	E	E/S-43	275.22	Commercial	25740	7084163	708416	257
55.	I	CON.SHOPs	2418.00	CON.SHOP	25740	62239320	6223932	257
56.	I	Commr	1650.00	COMMERCIAL	25740	42471000	4247100	257
57.	I	Community centre	1500.00	Community Centre	25740	38610000	3861000	257
58.	I	Bank Post Office	1200.00	Bank Post Office	25740	30888000	3088800	257

59.	I	Municipal Services	1184.00	Municipal Services	25740	30476160	3047616	257
60.	M	COMMR FACILITIES	1250.00	COMMR FACILITIES	25740	32175000	3217500	257
61.	M	COMMR	3400.00	COMMR	25740	87516000	8751600	257
62.	M	CON.SHOP	1400.00	CON.SHOP	25740	36036000	3603600	257
<b>PALLAV PURAM HOUSING SCHEME</b>								
1	G	CON.SHOP	375	CON.SHOP	42900	16087500	1608750	429
2	G	CON.SHOP	375	CON.SHOP	42900	16087500	1608750	429
3	H	CON.SHOP	450	CON.SHOP	41800	18810000	1881000	418
4	I	CON.SHOP	550	CON.SHOP	41800	22990000	2299000	418
<b>SHRADHAPURI PHASE-1 HOUSING SCHEME</b>								
1	8	C-1/6	394.4	COMMERCIAL	40700	16052080	1605208	407
2	8	C-1/7	438.44	COMMERCIAL	40700	17844508	1784451	407
<b>SHRADHAPURI PHASE-2 HOUSING SCHEME</b>								
1	A	C-7	112.5	COMMERCIAL	44000	4950000	495000	440
2	B	GH	9300	GOUP HOUSINGH	43500	404550000	40455000	435
3	C	CP-02	3100	COMMERCIAL	56000	173600000	17360000	560
4	C	CP-03	3100	COMMERCIAL	56000	173600000	17360000	560
5	C	CP-03/1	3105	COMMERCIAL	56000	173880000	17388000	560
6	C	POST OFFICE	1532.73	PLOT FOR POST OFFICE/ ETC	61600	94416168	9441617	616
7	C	CC-08	140	COMMERCIAL	39000	5460000	546000	390
8	C	CC-13	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
9	C	CC-15	160.65	COMMERCIAL	42900	6891885	689189	429
10	C	CC-17	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
11	C	CC-18	148.75	COMMERCIAL	39000	5801250	580125	390
12	C	HELTH CENTRE	2920	HELTH CENTRE	30600	89352000	8935200	306
13	C	CS-1	254.38	CON.SHOP	42900	10912902	1091290	429
14	C	CS-2	254.37	CON.SHOP	40700	10352859	1035286	407
15	D	CS-01	640	CON.SHOP	42900	27456000	2745600	429
16	D	CS-02	640	CON.SHOP	42900	27456000	2745600	429
<b>DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME</b>								
1	B	BC-08	285.6	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	12852000	1285200	450
2	B	BC-13	275	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	13612500	1361250	495
3	B	BC-14	202.5	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	9112500	911250	450
4	B	BC-17	202.5	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	9112500	911250	450



5	B	BC-19	253.13	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	12529935	1252994	495
6	B	BC-20	275	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	13612500	1361250	495
7	B	BC-24	202.5	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	9112500	911250	450
8	B	BC-27/1	178.23	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	8020350	802035	450
9	B	BC-34	303.6	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	45000	13662000	1366200	450
10	B	BC-35	359.37	COMMERCIAL COM RESIDENTIAL	49500	17788815	1778882	495
11	B	COMMR	2000	SHOPPING CENTRE	49500	99000000	9900000	495

### SANIK VIHAR HOUSING SCHEME

1	B	CS	1139	CON.SHOP	27060	30821340	3082134	271
2	D	CS	362.4	CON.SHOPS	27060	9806544	980654	271

### GANGA NAGAR HOUSING SCHEME

1	B	C-02	1500	COMMERCIAL	52000	78000000	7800000	520
2	B	C-03	1500	COMMERCIAL	52000	78000000	7800000	520
3	B	C-04	1583.25	COMMERCIAL	57200	90561900	9056190	572
4	B	COMMUNITY CENTRE	1511.9	COMMUNITY CENTRE	26000	39309400	3930940	260
5	CP	CP-3	5588	COMMERCIAL	64000	357632000	35763200	640
6	CP	CP-05	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
7	CP	CP-06	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
8	CP	CP-07	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
9	CP	CP-08	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
10	CP	CP-09	1000	COMMERCIAL	38800	38800000	3880000	388
11	F	COMMUNITY CENTRE	1360	COMMUNITY CENTRE	17930	24384800	2438480	179
12	H	C-1/1	96.88	COMMERCIAL	35860	3474117	347412	359
13	H	C-1/3	56.25	COMMERCIAL	34540	1942875	194288	345
14	H	C-1/4	56.25	COMMERCIAL	34540	1942875	194288	345
15	H	C-1/5	96.88	COMMERCIAL	37680	3650438	365044	377
16	H	C-8	255	COMMERCIAL	32600	8313000	831300	326
17	H	HELTH CENTRE	10495	HELTH CENTRE	25300	265523500	26552350	253
18	I	HELTH CENTRE	500	HELTH CENTRE	17930	8965000	896500	179
19	I	C-1	240	COMMERCIAL	35860	8606400	860640	359
20	I	C-2	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
21	I	C-3	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
22	I	C-4	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326
23	I	C-5	180	COMMERCIAL	32600	5868000	586800	326

24	J	C-1	2500	COMMERCIAL	35200	88000000	8800000	352
25	K	POST OFFICE	700	POST OFFICE	35860	25102000	2510200	359
26	L	CON.SHOP	430	CON.SHOP	35860	15419800	1541980	359
27	K	C-1	800	COMMERCIAL	35860	28688000	2868800	359
28	M	C-1	400	COMMERCIAL	35860	14344000	1434400	359
29	N	C-2	530	COMMERCIAL	39120	20733600	2073360	391
30	NP	C-4/1	4089.5	COMMERCIAL	42240	172740480	17274048	422
31	NP	C-4/2	4089.5	COMMERCIAL	42240	172740480	17274048	422
32	NP	C-2	127.2	COMMERCIAL	35200	4477440	447744	352
33	NP	C-3	127.2	COMMERCIAL	35200	4477440	447744	352
34	P	COMMUNITY CENTRE	3150	COMMUNITY CENTRE	17930	56479500	5647950	179
35	P	BANK & POST OFFICE	2500	BANK & POST OFFICE	35860	89650000	8965000	359
36	P	CON.SHOP	1125	CON.SHOP	35860	40342500	4034250	359

### RAKSHA PURAM HOUSING SCHEME

1	1	C-8	3043	COMMERCIAL COM GROUP HOUSING	27060	82343580	8234358	271
2	1	C-11	1000	COMMERCIAL	27060	27060000	2706000	271
3	1	C-2/12	150	COMMERCIAL	27060	4059000	405900	271
4	1	C-2/13	150	COMMERCIAL	27060	4059000	405900	271
5	1	C-2/14	150	COMMERCIAL	27060	4059000	405900	271
6	4	CS	305	CON.SHOP	27060	8253300	825330	271

### PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME

1	D	3	177.35	COMMERCIAL	48200	8548270	854827	482
2	G	PART-B	204.8	COMMERCIAL	48200	9871360	987136	482

### VED VIYAS PURI HOUSING SCHEME

1	1	POST OFFICE	900	POST OFFICE	36960	33264000	3326400	370
2	1	LOCAL SHOPPING	2550	LOCAL SHOPPING	36960	94248000	9424800	370
3	1	SHOPPING	1250	SHOPPING	36960	46200000	4620000	370
4	2B	COMMUNITY CENTRE	3200	COMMUNITY CENTRE	18480	59136000	5913600	185
5	2C	NURSING HOME	1800	NURSING HOME	18480	33264000	3326400	185
6	2C	COMMERCIAL CENTRE	4690	COMMERCIAL CENTRE	36960	173342400	17334240	370
7	2	I.T.P.-1	9475	IT PARK	36960	350196000	35019600	370
8	2	I.T.P.-2	9208	IT PARK	36960	340327680	34032768	370
9	3	C-2	1222	COMMERCIAL	36960	45165120	4516512	370
10	3	C-3	1119.87	COMMERCIAL	36960	41390395	4139040	370
11	3	C-4	1398.7	COMMERCIAL	36960	51695952	5169595	370
12	3	C-5	1510	COMMERCIAL	36960	55809600	5580960	370
13	3	C-6	1250	COMMERCIAL	36960	46200000	4620000	370

14	3	C-7	1250	COMMERCIAL	36960	46200000	4620000	370
15	3	C-9	12309.55	COMMERCIAL	36960	454960968	45496097	370
16	3	C-9/1	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
17	3	C-9/2	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
18	3	C-9/3	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
19	3	C-9/4	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
20	3	C-9/5	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
21	3	C-9/6	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
22	3	C-9/7	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
23	3	C-9/8	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
24	3	C-9/9	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
25	3	C-9/10	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
26	3	C-9/11	250	COMMERCIAL	36960	9240000	924000	370
27	3	C-9/12	396.75	COMMERCIAL	36960	14663880	1466388	370
28	3	C-10	3680.97	COMMERCIAL	36960	136048651	13604865	370
29	3	C-10/1	3680.97	COMMERCIAL	36960	136048651	13604865	370
30	3	C-11	3680.97	COMMERCIAL	36960	136048651	13604865	370
31	3	C-12	6322.38	COMMERCIAL	36960	233675165	23367516	370
32	3	C-13	7422.77	COMMERCIAL	36960	274345579	27434558	370
33	3	C-14	6029.37	COMMERCIAL	36960	222845515	22284552	370
34	3	C-15	6025.25	COMMERCIAL	36960	222693240	22269324	370
35	3	C-16	6021.12	COMMERCIAL	36960	222540595	22254060	370
36	3	C-17	6017.27	COMMERCIAL	36960	222398299	22239830	370
37	3	C-18	6013.43	COMMERCIAL	36960	222256373	22225637	370
38	3	C-19	6009.57	COMMERCIAL	36960	222113707	22211371	370
39	4B	COMMR	8038.15	COMMERCIAL	36960	297090024	29709002	370
40	7-B	GH-03	4497.1	GROUP HOUSING	27720	124659612	12465961	277
41	7-B	GH-04	4965.09	GROUP HOUSING	27720	137632295	13763229	277
42	7-B	COMMR	1811.8	COMMERCIAL	36960	66964128	6696413	370
43	8	CS	429.53	CON.SHOP	36960	15875429	1587543	370
44	8	25A	1000	INDUSTRIAL	13860	13860000	1386000	139
45	8	26	1000	INDUSTRIAL	13860	13860000	1386000	139
46	8	39	450	INDUSTRIAL	13860	6237000	623700	139

### SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME

1.	2	C-05	1000	COMMERCIAL	25300	25300000	2530000	253
2.	2	C-09	1661.97	COMMERCIAL	25300	42047841	4204784	253
3.	2	C-10	1661.97	COMMERCIAL	25300	42047841	4204784	253
4.	2	C-13	1113.75	COMMERCIAL	25300	28177875	2817788	253
5.	2	C-14	1140.37	COMMERCIAL	25300	28851361	2885136	253
6.	2	C-15	917	COMMERCIAL	25300	23200100	2320010	253
7.	2	C-16	1794.9	COMMERCIAL	25300	45410970	4541097	253
8.	4C-A	GH	4223.5	GROUP HOUSING	18975	80140913	8014091	190

9.	4C-A	HELTH CENTRE	10000	HELTH CENTRE	12650	126500000	12650000	127
10.	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.27	COMMERCIAL	25300	48911731	4891173	253
11.	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1918.15	COMMERCIAL	25300	48529195	4852920	253
12.	AIRPORT ENCLAVE	C-1	1933.07	HOTAL	25300	48906671	4890667	253
13.	AIRPORT ENCLAVE	C-2	1896.33	HOTAL	25300	47977149	4797715	253
14.	1-B	C-10	229.39	Commercial	25300	5803567	580356.7	253
15.	1-B	C-21	394.8	Commercial	25300	9988440	998844	253
16.	2	C-02	1000	Commercial	25300	25300000	2530000	253
17.	2	C-03	1480	Commercial	25300	37444000	3744400	253
18.	2	C-3/1	933.34	Commercial	25300	23613502	2361350	253
19.	3	Helth Centre	1750	Helth Centre	12650	22137500	2213750	127
20.	3	Commercial	6656	Commercial	25300	1.68E+08	16839680	253
21.	4B	CON.SHOP	315	CON.SHOP	25300	7969500	796950	253
22.	4c-A	Local Shopping Centre	12152	Local Shopping Centre	25300	3.07E+08	30744560	253
23.	4c-A	Library Community Facilites	3000	Library Community Facilites	25300	75900000	7590000	253
24.	4C-D	C-18	200	Commercial	25300	5060000	506000	253
25.	4C-D	C-19	250	Commercial	25300	6325000	632500	253
26.	4C-D	C-20	120	Commercial	25300	3036000	303600	253
27.	4C-D	C-21	120	Commercial	25300	3036000	303600	253
28.	4C-D	C-22	120	Commercial	25300	3036000	303600	253
29.	4C-D	C-23	120	Commercial	25300	3036000	303600	253
30.	4C-D	C-24	250	Commercial	25300	6325000	632500	253
31.	4C-E	C-3	100	Commercial	25300	2530000	253000	253
32.	4C-E	C-5	83.53	Commercial	25300	2113309	211330.9	253
33.	4C-E	C-6	62.43	Commercial	25300	1579479	157947.9	253
34.	4C-E	C-7	63.69	Commercial	25300	1611357	161135.7	253
35.	4C-E	C-8	64.95	Commercial	25300	1643235	164323.5	253
36.	4C-E	C-9	66.21	Commercial	25300	1675113	167511.3	253
37.	4C-E	C-10	90.32	Commercial	25300	2285096	228509.6	253
38.	4C-E	C-11	59	Commercial	25300	1492700	149270	253
39.	4C-E	C-12	60	Commercial	25300	1518000	151800	253
40.	4C-E	C-13	60	Commercial	25300	1518000	151800	253
41.	4C-E	C-14	60	Commercial	25300	1518000	151800	253
42.	4C-E	C-15	60	Commercial	25300	1518000	151800	253
43.	4C-G	Conv. Shopping	2100	Conv. Shopping	25300	53130000	5313000	253
44.	4C-G	Community Facilites	12200	Community Facilites	25300	3.09E+08	30866000	253
<b>SPORTS GOODS COMPLEX SCHEME</b>								
1.	A	COMMERCIAL	1940.00	COMMERCIAL	29040	56337600	5633760	290

2.	B	RAW MATERIAL DEPO	1785.00	RAW MATERIAL DEPO	29040	51836400	5183640	290
----	---	-------------------------	---------	-------------------------	-------	----------	---------	-----

SL. NO.	SECTOR	PROPERTY NO.	AREA in Sqm.	Details of properties	RESERVE PRICE in Rupees	EMD in Rupees	MINIMUM BID for Auction in Rupees
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME (HAL CONSTRUCTED HOUSE)</b>							
1.	2	VC RESIDENCE	4664.5	Half Constructed	102100000	10210000	1021000
<b>VIKAS VIHAR HOUSING SCHEME (SHOPS)</b>							
1	-	3	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
2	-	4	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
3	-	5	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
4	-	6	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
5	-	7	25.55	SHOP	2143400	214340	21434
6	-	8	25.55	SHOP	2143400	214340	21434

**Details of Educational Properties for e-AUCTION/on line bidding**

SL. NO.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA in Sqm.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE Per Sqm.	RESERVE VALUE in Rupees	EMD in Rupees	MINIMUM PER SQM BID for Auction in Rupees	
<b>DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME</b>									
1.	B	NS		NURSERY SCHOOL	964.68	26000	25081680	2508168	260
2.	I	PS		PRIMARY SCHOOL	3400	16300	55420000	5542000	163
3.	L	NS/PS		NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	1986.16	16300	32374408	3237441	163
<b>VED VIYASPURI HOUSING SCHEME</b>									
4.	4B	HS		HIGH SCHOOL	2557.46	18480	47261861	4726186	185
<b>DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME</b>									
5.	D	DC		DEGREE COLLEGE	10008	12870	128802960	12880296	129
6.	A	PS		PRIMARY SCHOOL	1156	12870	14877720	1487772	129
<b>SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME</b>									
7.	4C/A	NS/PS		NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	3853.27	12650	48743866	4874387	127
8.	4C/A	MI		MANAGEMENT INSTITUTE	13480.35	12650	170526428	17052643	127
9.	4C/B	NS/PS		NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	4580.00	12650	57937000	5793700	127
10.	4C/C	NS/PS		NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	3150.00	12650	39847500	3984750	127
11.	4C/E	NS/PS		NURSERY/ PRIMARY SCHOOL	6844.00	12650	86576600	8657660	127
12.	2	KH-1031, 1105 & 1106 (RETHANI)		EDUCATIONAL, BARATGHAR/ BANQUET HALL	5729.47	12650	72477796	7247780	127

-X-X-X-X-

## शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अर्हताओं का मूल्यांकन-

क्र०  
सं०

वाँछित प्रपत्र

1. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट की प्रति संलग्न करें।
5. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिविड असेस्टस) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत् शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत् छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें-

**शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत् स्टाफ आदि का विवरण**

क्र० सं०	कार्यरत् शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत् अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत् अन्य स्टाफ



**मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राइमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज एवं मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट” की स्थापना के लिये तकनीकी ऑफर का प्रारूप**

1. योजना का नाम .....

सैक्टर ..... व पॉकेट ..... व आवेदित भूखण्ड सं० .....  
क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर

(यदि आवेदनकर्ता-समिति/ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग-अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)

आवेदक
का
पासपोर्ट साईज का
स्वहस्ताक्षरित
फोटो

2. समिति/ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति/ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है— .....

3. आवेदनकर्ता समिति/ट्रस्ट का नाम .....

4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है—रजिस्टर्ड सोसायटी/रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण .....

(ख) पंजीकरण संख्या ..... व रजिस्ट्रेशन का वर्ष .....  
पंजीकरण/नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक ..... से दिनांक ..... तक

(ग) समिति/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:— .....

(घ) समिति/ट्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर: कार्यालय ..... फैक्स .....

(ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पते, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते .....

(कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)

5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रुपये 1,000/- का विवरण —बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर संख्या ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....

6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रुपये 1,000/- अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या ..... दिनांक .....  
जारीकर्ता बैंक का नाम .....

7. जमा धरोहर राशि का विवरण:— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर संख्या ..... दिनांक .....  
रुपये ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....

8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :- .....  
.....(इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)

9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित है:— .....

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:— .....

11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है .....
12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है .....
13. अन्य विवरण:- .....

नोट:-

- (1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।
- (2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।
- (3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।
- (4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायेंगे।

घोषणा:-

मैंने पंजीकरण हेतु दी गयी समस्त शर्तें पढ़ ली है, जो मुझे मान्य है।

.....  
आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर  
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

x-x-x-x-